संख्या 71/74-41-1-2025 सी०एन० 1888822-2025

प्रेषक,

संजीव कुमार श्रीवास्तव
उप सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में

महानिदेशक,
पर्यटन, उ०प्र० लखनऊ।

पर्यटन अनुभाग-1 लखनऊ दिनांक 30 जनवरी, 2025

विषयः- मुख्यमंत्री पर्यटन संवर्धन योजना के अन्तर्गत जनपद फतेहपुर के 06 विधान सभा क्षेत्रों के पर्यटन स्थलों के समेकित पर्यटन विकास से संबंधित योजनाओं की अवशेष धनराशि अवमुक्त किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-8187/मु०म०प०सं०यो० (38) सी०एन०-15244/2020, दिनांक 02 जनवरी, 2025 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा मुख्यमंत्री पर्यटन संवर्धन योजना के अन्तर्गत जनपद फतेहपुर के 06 विधान क्षेत्रों के पर्यटन स्थलों के समेकित पर्यटन विकास से संबंधित योजना की अवशेष धनराशि अवमुक्त किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- अवगत कराना है कि जनपद फतेहपुर के 06 विधान सभा क्षेत्रों का पर्यटन विकास से संबंधित योजना हेतु उ०प्र० प्रोजेक्ट कारपोरेशन लि० को कार्यदायी संस्था नामित करते हुए शासनादेश संख्या-53/2021/4833/41-2020-133-बजट/2020 दिनांक 27.01.2021 द्वारा प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति तथा प्रथम किश्त के रूप में धनराशि निर्गत की गयी है । उक्त परियोजनाओं पर शासनादेश संख्या-438/2021/2426/41-2021-133-बजट/2020 दिनांक 14.09.2021 द्वारा द्वितीय किश्त शासनादेश संख्या-695/2021/4348/41-2021-133-बजट/2020 दिनांक 06.12.2021 द्वारा तृतीय किश्त एवं शासनादेश संख्या-114/2022/671/41-2022-08/बजट/2022, दिनांक 16.03. 2022 द्वारा चतुर्थ किश्त निर्गत की गयी है. जिसका विवरण निम्नवत है:

क्र०सं०	परियोजना का नाम	प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति	प्रथम किश्त	द्वितीय किश्त	तृतीय किश्त	चतुर्थ किश्त	कुल अवमुक्त
)1(	)2(	)3(	)4(	)5(	)6(	)7(	)8(
1	फतेहपुर वि०स० अयाहशाह में में ब्लाक असोधर ग्राम बगहा मजरे सरकण्ठी खास में स्थित श्री तेलान बाबा के प्रसिद्ध मंदिर का पर्यटन विकास कार्य	49. लाख 30 ०एस०जी) (सहित ०टी	24.65	12.35	05.12	--	42.12
2	फतेहपुर विधान सभा जहानाबाद में प्राचीन पर्यटन स्थल खजुहा का पर्यटन विकास कार्य	46. लाख 48 ०एस०जी) (सहित ०टी	23. 24	11.62	4.85	4.59	44.30

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

3	फतेहपुर वि०ख० हुसैनगंज में श्री श्री श्री भगवान मगनानंद जूदेव परमहंस पूर्व वनिकाचार्य का आश्रम बढ़ी कुटी तिवारीपुर सेनपुर का पर्यटन विकास कार्य	48. लाख 84 ०एस०जी) (सहित ०टी	24.42	12.21	5.10	2.36	44.09
4	फतेहपुर वि०स० खागा के फाल्गुनी गिरी बाबा के आश्रम एवं राम लीला ग्राउण्ड का पर्यटन विकास कार्य	48. लाख99 ०एस०जी) सहित ०टी	24.49	12.25	05.12	0.80	42.66
5	फतेहपुर वि०स० सदर में अपोच्या कुटी मंदिर का सौन्दर्थीकरण एवं पर्यटन विकास कार्य	49. लाख 05 ०एस०जी) सहित ०टी	24.52	12.26	05.13	01.53	43.44
6	फतेहपुर वि०स० बिन्दकी में शोभन सरकार आश्रम का पर्यटन विकास कार्य	47. लाख 31 ०एस०जी) (सहित ०टी	23.65	16.77	04.06	--	44.48

4-इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रश्नगत प्रायोजनाओं पर निम्नानुसार अवशेष/अन्तिम किश्त के रूप में कुल रू0 23.94 लाख (रू० तेईस लाख चौरानबे हजार मात्र) की धनराशि अवमुक्त किये जाने की निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(धनराशि रू० लाख में)

क्र०सं०	**परियोजना का नाम**	**अवमुक्त की जानें वाली धनरशि**
)1(	)2(	)3(
1	फतेहपुर वि०स० अयाहशाह में में ब्लाक असोधर ग्राम बगहा मजरे सरकण्डी खास में स्थित श्री तेलान बाबा के प्रसिद्ध मंदिर का पर्यटन विकास कार्य	3.73
2	फतेहपुर विधान सभा जहानाबाद में प्राचीन पर्यटन स्थल खजूहा का पर्यटन विकास कार्य	2.18
3	फतेहपुर वि०ख० हुसैनगंज में श्री श्री श्री भगवान मगनानंद जूदेव परमहंस पूर्व	4.75

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

	वज्जिकाचार्य का आश्रम बड़ी कुटी तिवारीपुर सेनपुर का पर्यटन विकास कार्य4.75	
4	फतेहपुर वि०स० खागा के फाल्गुनी गिरी बाबा के आश्रम एवं राम लीला ग्राउण्ड का पर्यटन विकास कार्य	5.00
5	फतेहपुर वि०स० सदर में अयोध्या कुटी मंदिर का सौन्दर्याकरण एवं पर्यटन विकास कार्य	5.45
6	फतेहपुर वि०स० बिन्दकी में शोभन सरकार आश्रम का पर्यटन विकास कार्य	2.83
	कुल योग	23.94

(1) परियोजना हेतु पर्यटन अनुभाग के शासनादेश संख्या-53/2021/4833/41-2020-133-बजट/2020 दिनांक 27.01.2021, शासनादेश संख्या-438/2021/2426/41-2021-133-बजट/2020 दिनांक 14.09.2021, शासनादेश संख्या-695/2021/4348/41-2021-133-बजट/2020 दिनांक 06.12.2021 एवं शासनादेश संख्या-114/2022/671/41-2022-08/बजट /2022, दिनांक 16.03.2022 में उल्लिखित शर्तों/प्रतिबंधों का अनुपालन किया जायेगा।

(2) अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय वित्त आय आयक अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या 1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024, दिनांक 04.03.2024 में निहित शर्तों एवं प्रावधानों के अन्तर्गत ही सुनिश्चित किया जायेगा।

(4) प्रश्नगत परियोजना के निर्माण कार्य में वस्तु एवं सेवाकर (जी०एस०टी०) की धनराशि कार्यदायी संस्था को वास्तविक भुगतान के अनुसार नियमानुसार अनुमन्य होगी तथा इस सम्बन्ध में कार्यदायी संस्था द्वारा सक्षम स्तर से अनुमोदित जी०एस०टी० भुगतान के सम्बन्ध में प्रामाणिक प्रपत्र महानिदेशक, पर्यटन के माध्यम से शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। उक्त के अतिरिक्त लेबर सेस के रूप में प्रदान की गयी धनराशि श्रम विभाग को भुगतान किये जाने का प्रमाण पत्र कार्यदायी संस्था से प्राप्त कर शासन को उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ उपलब्ध कराया जायेगा।

(5) यह अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जायेगा कि कार्यों की गुणवत्ता उच्चकोटि की हो तथा समय-समय पर कार्यदायी संस्था द्वारा कराये जा रहे निर्माण कार्यों का पर्यवेक्षण (मानीटरिंग) महानिदेशक, पर्यटन द्वारा सुनिश्चित कराया जाय। स्वीकृत धनराशि कोषागार से आहरित कर आहरण के बाउबर संख्या एवं तिथि की सूचना शासन एवं महालेखाकार प्रयागराज को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(6) प्रश्नगत परियोजना में होने वाले निर्माण कार्य के सम्बन्ध में यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि निर्माण कार्य आगणन के अनुरूप उसके तकनीकी अनुमोदन के अनुसार किया गया है तथा परियोजना को कार्यदायी संस्था से हस्तगत कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताओं को पूर्ण कर लिया जायेगा एवं निर्मित परिसम्पत्ति का समुचित रख-रखाव सुनिश्चित किया जायेगा एवं इसकी अद्यतन प्रगति रिपोर्ट ई-परियोजनाओं की समीक्षा के पोर्टल पर अंकित कराते हुए शासन को अवगत कराया जायेगा।

(7) प्रश्नगत परियोजना में टाइम ओवर रन/कास्ट ओवर रन को नियन्त्रित करने के सम्बन्ध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-07/2017/बी-1-823/दस-2017-एम-04/2017 दिनांक 21 जून, 2017 में दिये गये निर्देशों तथा बजट मैनुअल के प्रस्तर-212 (VII) में दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया गया।

(8) प्रश्नगत परियोजना में निर्माण कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी कार्यदायी संस्था की होगी। स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष व्यय की गयी धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र भी निर्धारित प्रपत्र पर सक्षम स्तर से शासन एवं महालेखाकार, प्रयागराज को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। सोशल आडिट से सम्बन्धित व्यवस्था/नियमों का भी पूर्णतया

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। परियोजना में निर्माण कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी कार्यदायी संस्था की होगी।

(9) यह सुनिश्चित किया जायेगा कि उपरोक्तांकित स्वीकृत योजनान्तर्गत कार्यों हेतु किसी अन्य स्रोतों से धनराशि प्राप्त न की गयी हो। यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि इस योजना की वर्तमान तथा भविष्य में अन्य योजनाओं में द्विरावृति/पुनरावृत्ति न हो और इसके रख-रखाव हेतु राज्य सरकार के ऊपर व्यय-भार न पड़े। कार्यदायी संस्था से कार्य की समाप्ति के पश्चात सम्प्रेक्षित लेखे अनिवार्य रूप से प्राप्त कर शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

(10) अवमुक्त की जा रही धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार तथा नियमानुसार किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि को बैंक खाते आदि में नहीं रखा जायेगा। कार्यदायी संस्था द्वारा शासकीय धन पर यदि ब्याज अर्जित किया गया है तो उसे अनिवार्य रूप से राजकोष में जमा कराना सुनिश्चित किया गया। यह भी अनिवार्य रूप से सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि आगणन में बाट आउट एवं प्रोप्राइटरी श्रेणी के कार्यों पर सेन्टेज का भुगतान अनुमन्य न किया जाय। इसका अनुपातन पर्यटन निदेशालय एवं कार्यदायी संस्था द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

(11) प्रश्नगत परियोजनाओं में अवमुक्त की जा रही धनराशि की स्वीकृति कार्यदायी संस्था एवं पर्यटन निदेशालय द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना/विवरण के आधार पर प्रदान की जा रही है। यदि परियोजना के मानक के सम्बन्ध में कोई सूचना गलत पायी जाती है तो इसका पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था एवं पर्यटन निदेशालय एवं क्षेत्रीय अधिकारियों का होगा। प्रश्नगत परियोजना हेतु अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष वास्तविक रूप से व्यय की गयी धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र/कार्य की गुणवा एवं फोटोग्राफ्स प्रतिहस्ताक्षरित कराये हुये (तिथि सहित) सक्षम स्तर से प्राप्त कर शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

(12) महानिदेशक, पर्यटन, उ०प्र० द्वारा कार्य पूर्ण होने के उपरान्त कार्यदायी संस्था से सम्प्रेक्षित लेखे अवश्य प्राप्त किये जायेंगे।

(13) सोलर लाइट/सौर ऊर्जा से सम्बन्धित लाइटों/उपकरणों का क्रय उ०प्र० नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण (UPNEDA) से नियमानुसार कय किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(14) परियोजना के कार्य पूर्ण होने के उपरान्त परियोजना की क्लोजर रिपोर्ट एक पक्ष के भीतर उपलब्ध करायी जायेगी । परियोजना की क्लोजर रिपोर्ट उपलब्ध न कराये जाने की स्थिति में उक्त कृत्य को अनियमितता मानते हुए सम्बन्धित परियोजना प्रबन्धक अपर परियोजना प्रबन्धक एवं ठेकेदार के विरूद्ध नियमानुसार प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफ० आई०आर०) दर्ज कराने की कार्यवाही पर्यटन निदेशालय/सम्बन्धित क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी/उपनिदेशक, पर्यटन द्वारा की जायेगी ।

4- इस संबंध में होने वाला व्यय रू0 23.94 लाख (रू० तेईस लाख चौरानबे हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 044 लेखा शीर्षक 5452801040800 मुख्यमंत्री पर्यटन स्थलों का विकास मानक मद 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

5- यह आदेश वित्त आय-व्ययक अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-2/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024, दिनांक 04.03.2024 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्राविधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(संजीव कुमार श्रीवास्तव)
उप सचिव।

<u>संख्या व दिनांक तदैव</u>

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः

1.प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ०प्र०, प्रयागराज।
2.महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ०प्र०), प्रयागराज।
3. निजी सचिव, मा० मंत्री, पर्यटन विभाग, उ०प्र० शासन ।
4. जिलाधिकारी, फतेहपुर ।
5. निदेशक, पर्यटन, पर्यटन निदेशालय, उ०प्र० लखनऊ।
6. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
7. प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० प्रोजेक्ट कारपोरेशन लि०, लखनऊ ।
8. वित्त नियंत्रक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
9. क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी (राज्य योजना) पर्यटन निदेशालय, तखनऊ ।
10. क्षेत्रीय पर्यटक अधिकारी, प्रयागराज मण्डल प्रयागराज ।
11. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7
12 गार्ड-फाइल।

आज्ञा से.

(संजीव कुमार श्रीवास्तव)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।